भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-174
उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

सीबीएसई की नई परीक्षा योजना का कार्यान्वयन

†174. **श्री ई .टी .मोहम्मद बशीर:**
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), देश का प्रमुख राष्ट्रीय स्कूली बोर्ड होने के बावजूद, हाल ही में अपनी नई परीक्षा योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का त्रुटिहीन संचालन सुनिश्चित करने और छात्रों, अभिभावकों तथा स्कूलों को समय पर और पारदर्शी सूचनाएं प्रदान करने में बार-बार विफल रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन शैक्षणिक वर्षों के दौरान ऐसे विशिष्ट मामलों का ब्यौरा क्या है, जहां सीबीएसई को अपनी प्रक्रियात्मक या संचार संबंधी विफलताओं के कारण स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, पुनः-अधिसूचनाएं जारी करनी पड़ी हैं या परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करना पड़ा है; और
(घ) सरकार द्वारा सीबीएसई के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने, उपयुक्त स्तरों पर इन विफलताओं के लिए जवाबदेही तय करने और भविष्य में इस तरह की चूकों की पुनरावृत्ति न होना सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी(

(क) और (ख): केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 17 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं दिनांक 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक सफलतापूर्वक आयोजित कीं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप, सीबीएसई ने वर्ष 2026 से दसवीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने की नीति लागू की, जिससे पात्र विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध हो सके। कक्षा 10 की दूसरी बोर्ड परीक्षा दिनांक 15 मई से 21 मई, 2026 तक आयोजित की गई थी।

सीबीएसई ने स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों सहित सभी हितधारकों को सूचना और आवश्यक संचार का स्पष्ट तथा समयबद्ध प्रसार भी सुनिश्चित किया।

(ग): सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम किसी भी प्रक्रियात्मक या संचार संबंधी मुद्दों से प्रभावित नहीं हुआ।

(घ): परीक्षाओं के सुचारू, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी की एक सुदृढ़ प्रणाली मौजूद है।
